UPLK010012122013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

उपस्थित : विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, एच0 जे0 एस0

विशेष परीक्षण सं0 500377/2013

1. राज्य उ0प्र0। .....अभियोजन।

बनाम

1—कालिका द्विवेदी (मृतक) पुत्र पुत्तू लाल द्विवेदी,
2—राम शंकर मिश्रा पुत्र शिव नरायन मिश्रा,
3—वीरेन्द्र द्विवेदी पुत्र उमाशंकर द्विवेदी,
4—राजू रावत पुत्र गजोधर रावत, निवासीगण ग्राम ढिलवासी, थाना इटौंजा, जिला लखनऊ। .....अभियुक्त।

मु0अ0सं0—1ए/2011
धारा:323,324,504,506 भा0दं0सं0
धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना इटौंजा, जिला—लखनऊ।

निर्णय

थाना इटौंजा, जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा थाना हाजा के मु0अ0सं0 1ए/2011, अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट बनाम कालिका द्विवेदी आदि के मामले में विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा कालिका द्विवेदी (मृतक) पुत्र पुत्तू लाल द्विवेदी, राम शंकर मिश्रा पुत्र शिव नरायन मिश्रा, वीरेन्द्र द्विवेदी पुत्र उमाशंकर द्विवेदी व राजू रावत पुत्र गजोधर रावत, निवासीगण ग्राम ढिलवासी, थाना इटौंजा, जिला लखनऊ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन ए0सी0जे0एम0, द्वितीय, लखनऊ द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया और मामला विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाकर दिनांक 12.03.2013 को सत्र सुपुर्द किया गया। तदोपरांत माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार यह

पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सिपाही लाल द्वारा थाना इटौंजा में इस आशय का मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि दिनांक 31.12.2010 को करीब 08.00 बजे शाम को राकेशमिश्रा के द्वार पर बैठे थे कि उधर से कालिका, राम शंकर, वीरेन्द्र व राजू आदि आये और कहा किपासी सालों कहां बैठे हो। जातिसूचक गाली देकर मारने लगे। कहा जान से इनको मार डालो। वादी किसी तरह जान बचाकर भागा।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर थाना इटौंजा, लखनउ में मु0अ0सं0 1ए/2011 को दिनांक 02.01.2011 समय 15.50 बजे अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट बनाम कालिका द्विवेदी (मृतक), राम शंकर मिश्रा, वीरेन्द्र द्विवेदी व राजू रावत करते हुये उसी दिन उसका खुलासा जी0डी0 में किया गया। विवेचना क्षेत्राधिकारी, बी0के0टी0 के सुपुर्द हुई।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना से सम्बन्धित साक्ष्य का संकलित करते हुए अभियुक्त कालिका द्विवेदी (मृतक), राम शंकर मिश्रा, वीरेन्द्र द्विवेदी व राजू रावत के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2013 को अभियुक्त कालिका द्विवेदी (मृतक), राम शंकर मिश्रा, वीरेन्द्र द्विवेदी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट तथा अभियुक्त राजू रावत के विरूद्ध धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 का अरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया गया तथा परीक्षण की मॉग की गयी।

अभियुक्त कालिका द्विवेदी की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त कालिका द्विवेदी के विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी0 डब्लू0–1 के रूप

में वादी राकेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित कराया गया है तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों सत्यता को स्वीकार करते हुए तथ्यों को अस्वीकार किया गया है।

अभियुक्त राम शंकर मिश्रा, वीरेन्द्र द्विवेदी व राजू रावत का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया और उन्होंने गलत तथ्यों पर रंजिशन मुकदमा पंजीकृत कराया जाना कहते हुए स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

विशेष लोक अभियोजक एस0सी0/एस0टी0 एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का गहनता को अनुशीलन किया गया।

अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वादी को घातक हथियारों से उपहति कारित करते हुए जातिसूचक गालियां दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया।

अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क रखा गया कि उपरोक्त अभियोजन कहानी को परीक्षित अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को सिद्धदोष कर दण्डित किये जाने का अनुरोध किया।

जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के विवेचक द्वारा सही ढंग से प्रकरण की विवचेना न करते हुए बालाबाला (सरसरी तौर पर) कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं तर्कों के आलोक में अनुरोध किया कि संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभिकथित अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है या नहीं, जैसा कि अभियोजन कह करके आ रहा है।

अभियुक्त पर धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 का आरोप है। सर्व प्रथम यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे स्वयं के साक्ष्य से साबित करना होगा। अभियुक्त की पक्ष का किसी तरह का लाभ

अभियोजन पक्ष पाने का अधिकारी नहीं होगा।

<u>धारा 324 भा0द0सं0 को इस प्रकार उपबंधित किया गया है:–</u>

उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव–शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव–जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

<u>धारा 323 भा0द0सं0 को इस प्रकार उपबंधित किया गया है कि :–</u>

''जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से 1000/– रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

<u>धारा 504 भा0द0सं0 को इस प्रकार उपबंधित किया है कि:–</u>

''जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तदद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से लोक शांती भंग या कोई अन्य अपराध करेगा वह दोनों भांति के कारवास जिसकी अवधि दो वर्ष या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

<u>धारा 506 भा0द0सं0 में आपराधिक अभित्रास के दण्ड को निम्नलिखित रूप से उपबंधित किया गया है:–</u>

''जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से

किसी भांति के कारावास जिसकी अवधित दो वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।''

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति को नाश करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री के असित्तव के लांछन लगाने की हो तो सात वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 राकेश कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना आज से 15 साल पहले की है। घटना शाम 08.00 बजे की है। मैं घटना के समय घटना स्थल पर नहीं थ। मैं बाद में आया था। घटना में वादी सिपाही लाल थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा था, तब पीछे से किसे ने मेरे सिर पर मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे भी चोट लगी थी। जो घटना घटित हुई थी। पुरानी रंजिश की वजह से घटित हुई थी। मैं किसी को गाली देते व जान से मारने की धमकी देते नहीं सुना था। किन लोगों ने मारा था, मैं उनको नहीं पहचानता। भीड़ ज्यादा थी। इसलिए किसी को पहचान नहीं पाया। घटना की रिपोर्ट सिपाही लाल द्वारा लिखाई गयी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लोगों के बताने के अनुसार सिपाही लाल ने थाने पर नामजद तहरीर दी थी। तहरीर मेरे सामने लिखी गयी थी। लेकिन तहरीर में जिन लोगों के नाम लिखा है, उनको मैंने मारते पीटते, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते नहीं देखा। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियोजन द्वारा जिरह की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों के डर, भय के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

तहरीर के अनुसार अभिकथित घटना वाले दिन, समय व स्थान पर अभियुक्तगण के द्वारा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा व जान से मारने की धमकी दिया।

वादी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि *'यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों के डर, भय के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूॅ।*

चूंकि वादी की मृत्यु हो चुकी है और घटना में अन्य चोटहिल राकेश कुमार को पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है और इस साक्षी द्वारा घ ाटना होने के कथन को स्वीकार किया है, परंतु घटना इस प्रकरण से संबंधित अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया गया है।

जहॉ तक धारा 3(1)(x) एस.सी./एस.टी. एक्ट के मामले का प्रश्न है उक्त में विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि उक्त के परिधि में आनी वाली कृत्य उस स्थिति में आपराधिक स्वरूप ग्रहण करते है जब उक्त धारा के अधीन परिभाषित अपराध इस जानकारी व ज्ञान से कारित किया गया हो कि पीड़ित पक्ष अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति का सदस्य हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अद्यतन निर्णय **हितेश वर्मा बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड और अन्य क्रिमिनल अपील नं0 707/2020 निर्णय दिनांकित 05 नवम्बर, 2020** में यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं होता कि सूचनादाता अनुसूचित जाति /अनु0जनजाति का सदस्य है जबतक कि अनुसूचित जाति या अनु0जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्य को निरवचित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें नागरिक अधिकारों की संख्या से वंचित किया जाता है। अधिनियम के तहत अपराध तब किया जाना माना जायेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को आक्रोश, अपमान और उत्पीड़न के अधीन किया जाता है। इसलिए अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया गया है कि सूचनाकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का कोई इरादा न हो। **स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि टिप्पणी किसी भवन के अन्दर की गयी है लेकिन जनता

के कुछ सदस्य वहॉ है केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं है तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृष्टिकोण में नहीं है। जहॉतक प्रस्तुत मामले का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामला परीक्षित अभियोजन साक्षी के साक्ष्यों में यह नहीं आया है कि वादी मुकदमा को नीच जाति का होने के नाते अपमानित करने के आशय से घटना कारित की गयी है, बल्कि परीक्षित साक्षी द्वारा अपने बयान एवं प्रतिपरीक्षा में मुल्जिमान द्वारा वादिनी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी है।

विधि व्यवस्था–**रंगबहादुर बनाम उ0प्र0 राज्य एआईआर 2000एससी 1209** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समय से परखा हुआ नियम यह है कि चाहे दोषी व्यक्ति छूट जाय लेकिन निर्दोष को सजा न हो जाय। जब तक अभियोजन अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित नहीं कर दे तब तक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक दाण्डिक न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उसकी स्वतन्त्रता, जीवन भर की स्वतन्त्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह युक्तियुक्त रूप से यह निश्चित न कर ले कि अपीलार्थी ही वास्तविक दोशी है।

. **उ0प्र0 राज्य बनाम रामवीर सिह आदि 2007 6 सुप्रीम कोर्ट 164** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया हे कि न्यायालय के लिये निर्णय लेते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार योग्य मुददा यह है कि वह सुनिश्चित कर ले कि न्याय की हत्या न हो । एक न्याय की हत्या दोषी के छूटने से नहीं हो सकती बल्कि निर्दोश को सजा करने से हो सकती है।

इस तरह उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के उपरांत यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष परीक्षित अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य से अभियोजन कहानी की अभिकथित अभियुक्तगण द्वारा वादी को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा एवं जान से मारने की धमकी दिया, युक्तियुक्तक संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार, राम शंकर आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट से तथा अभियुक्त राजू रावत आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विशेष परीक्षण संख्या 500377/2013 मु0अ0सं0 1ए/2011 सरकार बनाम कालिका द्विवेदी आदि, थाना इटौंजा के मामले में आरोपित अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार, राम शंकर आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट से तथा अभियुक्त राजू रावत आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण वीरेन्द्र, राम शंकर व राजू रावत को आदेशित किया जाता है कि अपील होने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय में उपसंजात होने हेतु धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000/– 20,000/– रूपये के एक–एक प्रतिभू व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका अन्दर सात दिन दाखिल करे।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 09–12–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 09–12–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

शैलेन्द्र, आशुलिपिक।